



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

का0आ0संख्या: WM-I/26-27/MACP/
दिनांक:/07/2026

कार्यालय आदेश

विषय: MACP की अनुमान्यता हेतु अद्यतन सेवापुस्त अপ্রাপ्त रहने के संबंध में ।

संदर्भ: इस कार्यालय का आदेश सं.- WM-I/26-27/14 दिनांक 13/04/2026

इस कार्यालय के संदर्भित आदेश दिनांक 13/04/2026 द्वारा MACP की अनुमान्यता हेतु 15 प्रमंडलीय लेखाकारों की अद्यतन सेवापुस्तों की मांग की गई थी। परंतु उनमें से अबतक इस कार्यालय को केवल 12 सेवापुस्त ही प्राप्त हुए हैं।

1. जिन प्रमंडलीय लेखाकारों की सेवापुस्तें अभी तक अপ্রाप्त हैं, उनकी सूची Annexure-A के रूप में इस कार्यालय आदेश के साथ संलग्न है।
2. संबंधित प्रमंडलीय लेखाकारों द्वारा वांछित सेवापुस्त समय पर न भेजना उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं शासकीय कार्य में बाधा है, जिससे MACP जैसे महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ का निस्तारण लंबित हो रहा है।
3. अतः उपरोक्त सूचीबद्ध 03 प्रमंडलीय लेखाकारों को निदेश दिया जाता है कि वे अपना अद्यतन सेवापुस्त अविलंब इस कार्यालय को प्रेषित करने के साथ-साथ यह स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में उनके द्वारा अद्यतन सेवापुस्त इस कार्यालय को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।
4. अपना स्पष्टीकरण इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 03 कार्य दिवसों के अंदर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं अन्य कर्मियों हेतु MACP अनुमान्यता का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

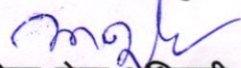
यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

६/-

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
बिहार, पटना

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:

1. संबंधित प्रमंडलीय लेखाकार - स्पष्टीकरण हेतु। (आधिकारिक वैबसाइट द्वारा)
2. संबंधित कार्यपालक अभियंता- संबंधित प्रमंडलीय लेखाकार की अद्यतन सेवापुस्त प्रेषित करने हेतु।
3. WM-II अनुभाग - NQS प्रतिवेदन के संबंध में।


वरिष्ठ लेखा अधिकारी
बिहार, पटना

